<u>न्यायालयः– अपर जिला न्यायाधीश घड़साना जिला श्रीगंगानगर</u>

पीठासीन अधिकारीः– **ऋषि कुमार,**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

तलाक याचिका(हि.वि.अधि.) संख्याः– 113/**2025**
सीआईएस नम्बरः– 113/2025

सोमा पत्नी कृष्णराम पुत्री रामचंद्र उम्र 31 साल निवासी वार्ड नं.4, चक 1 के एम–बी पी.ओ. चक 1 एसकेएम तहसील घड़साना हाल गांव 7 डीओएल रावला तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।

––प्रथम पक्षकार

एवं

कृष्णराम पुत्र सुखदेवराम निवासी वार्ड नं.4, चक 1 के एम–बी पी.ओ. चक 1 एसकेएम तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।

––द्वितीय पक्षकार
(याचीगण)

<u>तलाक याचिका अंतर्गत धारा 13 (बी) हिन्दू विवाह अधिनियम</u>

उपस्थितः–

01– विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार वास्ते याचीगण

–:: निर्णय ::– **दिनांक 19.03.2026**

01. याचीगण सोमा व कृष्णराम द्वारा दिनांक 19.08.2025 को धारा 13 बी हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत तलाक याचिका इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की गयी।

02. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि याचीगण ने दिनांक 19.08.2025 को हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(बी) के तहत् आपसी सहमति विवाह विच्छेद हेतु यह प्रार्थना पत्र मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि उनकी शादी वर्ष 2013 में याचीया सोमा के माता पिता के घर गांव 7 डीओएल रावला तहसील घड़साना में सम्पन्न हुई थी। शादी के बाद याचीया सोमा, कृष्णराम के साथ बतौर पत्नी निवास करने लगी तथा दोनों के आपसी सहचार्य से चार संतान क्रमशः पुत्री पूनम उम्र 12 साल, पुत्री स्नेहा उम्र 10 साल, पुत्री सविन्या उम्र 08 साल, पुत्र भव्य उम्र 06 साल पैदा हुए। शादी

के कुछ साल बाद दोनों पक्षकारों में आपसी वैचारिक मतभेद हो गये। दोनों पक्षकार पिछले 02 सालों से एक दूसरे से अलग रह रहे है। इस अवधि के दौरान उनके मध्य कोई सम्बंध नही रहे है। दोनों पक्षों के मध्य पंचायते भी हुई लेकिन समझौता नही हो सका। भविष्य में उनका साथ रहना संभव नहीं है। पंचायत के माध्यम से दोनों पक्षकारों के जीवन को सुखमय बनाने हेतु दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से एक दूसरे से तलाक लेना भला मानते हुए समझौता करवाया है। पुत्री पूनम याचीया के पास रहेगी व शेष तीनो बच्चे अयाची के पास रहेंगे। प्रथम पक्षकार ने स्वयं व अपनी पुत्री पूनम के भरण पोषण की एकमुश्त राशि द्वितीय पक्षकार से प्राप्त कर ली है। पक्षकारों ने उक्त याचिका आपसी सहमति, स्वेच्छा व बिना दवाब के पेश की है और दोनों पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार की दुर्भिसंधि संधि नहीं है। अतः निवेदन है कि याचीगण के मध्य वर्ष 2013 में हुए विवाह को आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री के द्वारा विघटित किया जावे।

03. याचिका प्रस्तुत होने के पश्चात् याचीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, जिनसे समझौता वार्ता करवाई गई, लेकिन दोनों पक्ष साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुए। याचीगण द्वारा जाहिर किया गया कि उनके साथ रहने की कोई संभावना नही है। इस पर छः माह की अवधि की छूट प्रदान की गयी।

04. तत्पश्चात याचीगण की साक्ष्य में गवाह पी.ड.1 कृष्णराम व पी.ड.2 सोमा के बयान लेखबद्ध करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श 1 से प्रदर्श 2 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

05. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

06. गवाह ए.ड.1 कृष्णराम व ए.ड.2 सोमा ने समवेत स्वर में कथन किया कि उनकी शादी उनकी शादी वर्ष 2013 में याचीया सोमा के माता पिता के घर गांव 7 डीओएल रावला तहसील घड़साना में सम्पन्न हुई थी। शादी के बाद सोमा, कृष्णराम के साथ बतौर पत्नी निवास करने लगी तथा दोनों के आपसी सहचार्य से चार संतान क्रमशः पुत्री पूनम उम्र 12 साल, पुत्री स्नेहा उम्र 10 साल, पुत्री सविन्या उम्र 08 साल, पुत्र भव्य उम्र 06 साल पैदा हुए। शादी के कुछ साल बाद दोनों पक्षकारों में आपसी वैचारिक

मतभेद हो गये। दोनों के मध्य सम्बंध इस कदर खराब हो गये कि दोनों का एक साथ रहना संभव नही है। दोनों पक्षकार पिछले 02 सालों से एक दूसरे से अलग रह रहे है। इस अवधि के दौरान उनके मध्य कोई सम्बंध नही रहे है। दोनों पक्षों के मध्य पंचायते भी हुई लेकिन समझौता नही हो सका। भविष्य में उनका साथ रहना संभव नहीं है। पंचायत के माध्यम से दोनों पक्षकारों के जीवन को सुखमय बनाने हेतु दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से एक दूसरे से तलाक लेना भला मानते हुए समझौता करवाया है। पुत्री पूनम याचीया के पास रहेगी व शेष तीनों बच्चे अयाची के पास रहेंगे। प्रथम पक्षकार ने स्वयं व अपनी पुत्री पूनम के भरण पोषण की एकमुश्त राशि द्वितीय पक्षकार से प्राप्त कर ली है। पक्षकारों ने उक्त याचिका आपसी सहमति, स्वेच्छा व बिना दवाब के पेश की है और दोनों पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार की दुर्भिसंधि संधि नहीं है। दस्तावेजी साक्ष्य में असल आधार कार्ड कृष्णराम प्रदर्श 1, आधार कार्ड सोमा प्रदर्श 2 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये। इनकी पत्रावली पर प्रति प्रदर्श 1 ए व प्रदर्श 2 ए उपलब्ध है।

07. उभयपक्षकारान की ओर से संयुक्त रूप से प्रस्तुत तलाक याचिका दाखिल होने के उपरांत न्यायालय के स्तर पर दोनों पक्षों के मध्य समझाईश करवायी गई, परंतु दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं हुआ व साथ रहने के लिए सहमत नहीं हुए। दोनों आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत याचिका में वर्णित तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि दोनों पक्षों (प्रथम पक्षकार सोमा व द्वितीय पक्षकार कृष्णराम) का वर्ष 2013 में विवाह सम्पन्न हुआ था। पक्षकारान ने पिछले 02 वर्ष से एक दूसरे से अलग रहना बताया है तथा दोनों पक्षों के द्वारा पारस्परिक सहमति के आधार पर तलाक की डिक्री पारित करने का निवेदन किया गया है।

08. याचीगण के अभिवचनों एवं उनके द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से उनके मध्य किसी प्रकार की दुर्भिसंधि होना दृष्टिगोचर नहीं होता है। अतः याचीगण की ओर से प्रस्तुत तलाक याचिका अंतर्गत धारा 13 बी हिन्दू विवाह अधिनियम दिनांकित 19.08.2025 स्वीकार की जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

– :: <u>आदेश</u> ::–

09. अतः याचीगण **सोमा प्रथम पक्षकार पत्नी एवं कृष्णराम द्वितीय पक्षकार पति** के द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत तलाक याचिका अंतर्गत धारा 13–(बी) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 पारस्परिक सहमति के आधार पर स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य वर्ष 2013 में हुए विवाह को पक्षकारान की आपसी सहमति से आज दिनांक 19.03.2026 को विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विघटित किया जाता है। नियमानुसार डिक्री बनाई जावे तथा पक्षकारान को डिक्री की एक–एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

(ऋषि कुमार)
अपर जिला न्यायाधीश
घड़साना, जिला श्रीगंगानगर

10. निर्णय व आदेश आज दिनांक 19.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ऋषि कुमार)
अपर जिला न्यायाधीश
घड़साना, जिला श्रीगंगानगर

–––oo–––